उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-17/2016/1229 /92-1-2016-62(अधि0)/2016
लखनऊ: दिनांक: 25 अप्रैल, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री ब्रजेश कुमार दुबे, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ से सम्बद्ध हैं और उनके द्वारा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ का अतिरिक्त कार्यभार देखा जा रहा है। परिमण्डल-मेरठ में सबसे वरिष्ठ अधिशासी अभियंता श्री अजय सिंघल हैं, उनके द्वारा दिनांक 11-04-2016 को 'अन्डरटेकिंग' दी गयी है कि श्री सुशील कुमार यादव, अधिशासी अभियंता, पी0आई0यू0-मेरठ को अस्थायी रूप से कार्यभार दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उक्त स्थिति में श्री दुबे द्वारा अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-मेरठ का अतिरिक्त रूप से देखे जा रहे कार्य को हटाते हुये परिमण्डल-मेरठ के अन्तर्गत श्री अजय सिंघल के बाद वरिष्ठतम अधिशासी अभियंता श्री सुशील कुमार यादव को अपने मूल पद के कार्यों के साथ-साथ नितांत काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत शासन के अग्रिम आदेशों अथवा उक्त परिमण्डल में नियमित अधीक्षण अभियता की तैनाती होने, जो भी पहले हो, तक के लिये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ के पद एवं दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- अधीक्षण अभियंता के उपर्युक्त अतिरिक्त कार्य एवं दायित्वों को निर्वहन करने के लिये श्री सुशील कुमार यादव को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

3- अधीक्षण अभियंता के पद के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन करने की उक्त व्यवस्था नितांत काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्ध के अन्तर्गत है, जो शासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(अजय कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या-17/2016/1229(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियंता (पूर्व/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधिशासी अभियंतागण द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in